भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1448
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2024

डिजिटल भारत निधि

1448. श्री एस. जगतरक्षकन:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि डिजिटल भारत निधि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना को मात्र सहायता देने के बजाय अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा प्रायोगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) जी हां, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 25(ख) के अनुसार डिजिटल भारत निधि का उपयोग दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास में सहायता के लिए किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि को प्रशासित करने के नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

*****